न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :— 08/2019 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2019/00009)

1. अतरसिंह
2. विजेन्द्रसिंह

पिसा0 स्व0 वासुदेव जाति ठाकुर निवासी जाटोली घना तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 7.6.2018

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः—29.11.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 5.6.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया था कि ''..... प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण मृतक ग्यासी पुत्र तोता के वारिस है। स्व0 ग्यासी पुत्र तोता साविक खसरा नम्बर 348, 349, 404, 405, 406, 430, 28, 29 मिन, 62, 64, 65, 66, 67, 141, 144, 272, 273, 274, 275, 278 कुल किता 20 रकबा 37 बीघा 11 विस्बा ग्राम जाटोली घना तहसील व जिला भरतपुर के रिकार्डेड खातेदार थे। दौराने सैटिलमेन्ट सैटिलमेन्ट विभाग ने स्व0 ग्यासी के साविक खसरा नम्बरों से 314, 315, 586, 581, 585, 483, 484, 430, 572, 572/1, 570, 114, 115, 116, 117, 118, 434, 635 कुल किता 18 रकबा 578 ऐयर निर्मित किये। इनमें खसरा नम्बर 115, 116, 117, 114, 118 ग्राम नगला चांदमारी व वकाया नम्बर जाटोली घना तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। मृतक ग्यासी के साविक नम्बरों के कुल रकबे 37 वीघा 11 विस्बा के अनुसार सैटिलमेन्ट विभाग को नये नम्बरों पर कुल 600 ऐयर पर मृतक ग्यारी को खातेदार दर्ज करना चाहिऐ था। मौके पर मृतक ग्यासी के वारिस 600 ऐयर पर काबिज है, लेकिन सैटिलमेन्ट विभाग ने रिकार्ड में मृतक ग्यासी को केवल 578 ऐयर अर्थात 36 बीघा पर खातेदारी दर्ज कर रखा है। इस प्रकार साविक के मुकाबले 1 बीघा 8 विस्बा अर्थात 22 ऐयर पर कम

29.11.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दर्ज कर रखा है जिसे मृतक ग्यासी के वारिस अपीलान्ट/प्रार्थीयान दुरूस्त कराने के अधिकारी है। इस प्रकार रकबे की दुरूस्ती कर प्रार्थीगण को 578 के स्थान पर 600 ऐयर का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही करते हुये कोर्ट कैम्प बछामदी में आदेश दिनांक 7.6.2018 को यह कहते हुये कि सैटिलमेन्ट समाप्ति के बीस वर्ष बाद रकबा की कथित कमीपूर्ति धारा 136 एल आर एक्ट के माध्यम से किया जाना सम्भव नहीं है इसके लिये प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक बाद लाना होगा जहां साक्ष्य परीक्षण उपरान्त निर्णय किया जावेगा और अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2018 से खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली प्राप्त होने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2018 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उप जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट का कतई अवलोकन नहीं किया गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की है। इसके बाबजूद अदालत मातहत द्वारा बिना इस रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही निर्णय अपीलाधीन आदेश पारित किया है? जो कि रिकार्ड एवं मौके के विपरीत है होने के कारण व नियमों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का अपने निर्णय में यह मानना कि अपीलान्ट को नियमित दावा करना चाहिऐ कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि प्रार्थीयान का रकबा दौराने सैटिलमेन्ट कम किया गया है तथा दौराने सैटिलमेन्ट रकबे में हुई कमी को एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कभी भी दुरूस्त कराया जा सकता है। इसके लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है। अपीलान्टान ने अधीनस्थ न्यायालय में कानूनी प्रावधानों के तहत ही प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना दिये कोर्ट कैम्प में एकतरफा में खारिज कर दिया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 निरस्त किया जावे। चूंकि अदालत मातहत की ओर से अपीलाधीन आदेश एकतरफा में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिऐ बिना कैम्प कोर्ट में पारित किया गया था। इसलिए अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.11.2018 को तहत अदालत में आने पर हुई। इसके बाद निर्णय की नकल हेतु आवेदन कर अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए

विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें कोई अनियमितता नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से लगभग 20 वर्ष के विलम्ब से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसका कोई पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया गया है। इतने विलम्ब से एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है। इसके लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के माध्यम से ही चाही गई रिलिफ दी जा सकती है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ने अपने मीमो आफ अपील व दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में ही स्पष्ट किया है कि अदालत मातहत द्वारा कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है। उक्त प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने से पूर्व न तो अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया। इसके अलावा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में जानकारी की तिथि का उल्लेख करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब दिया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व जानकारी रही हो। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे। इसके अलावा सैटलमेन्ट के दौरान हुई गलती को दुरूस्त कराए जाने बाबत किसी प्रकार की कोई मियाद निर्धारित नहीं है। वरन् इस तरह का प्रार्थना पत्र जानकारी में आते ही प्रस्तुत कर दुरूस्ती करवाई जा सकती है, परन्तु इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा नजरअंदाज किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में दिनांक 15.01.2019 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की

गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से मौखिक प्रतिवाद के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से उप जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसमें तहसीलदार भरतपुर की ओर से पत्र दिनांक 01.04.2016 के द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट दिनांक 30.03.2016 की प्रति संलग्न की गई। जिसमें ग्राम जाटौली घना में प्रार्थीगण के रकबे की पूर्ति हेतु खसरा नंबर 433/0.26 में से 8 एयर कम करके खसरा नंबर 434/1 में 8 एयर बढ़ाया जाकर व खसरा नंबर 571/0.63 है0 में से 13 एयर कम करके व खसरा नंबर 570/0.26 है0 में 13 एयर रकबा बढ़ाया जाकर प्रार्थीगण के रकबे की पूर्ति किया जाना संभव होना बताया। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर द्वारा राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 को पारित किया गया है। जिसमें सैटलमेंट समाप्ति के 20 वर्ष बाद रकबा की कथित कमीपूर्ति धारा 136 एल.आर.एक्ट के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होना मानते हुए सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किये जाने के निर्देश के साथ अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि भू अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करा सकेगा। जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार्य करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें। इस धारा में ही यह परन्तुक दिया गया है कि जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकारी अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जाएगी। जब तक पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो। उक्त प्रावधान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की कोई मियाद नहीं है। वरन्

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

हितबद्ध पक्षकार को दुरूस्ती से पहले नोटिस दिया जाना व सुनवाई किया जाना आवश्यक माना गया है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीयान का रकवा दौराने सैटलमेन्ट कम हुआ है और दौराने सैटलमेन्ट रकवे में हुई कमी को एल.आर.एक्ट. की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाया जा सकता है। पटवारी हल्का की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत रिपोर्ट में भी साविक व हाल खसरा नंबर का हवाला देते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से चाहे गये रकवे की पूर्ति किये जाने का उल्लेख किया है। इस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता है कि भू प्रवन्ध विभाग द्वारा उक्त त्रुटि की गई है, परन्तु अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से चाहा गया अनुतोष एल.आर.एक्ट. की धारा 136 में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधित हितबद्ध पक्षकार के स्वीकार करने अथवा पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस दिये जाने के वाद भी इस तरह की कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त प्रकरण में उप जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया है कि कथित कमीपूर्ति धारा 136 एल.आर.एक्ट. के माध्यम से किया जाना संभव नहीं है। वरन् इसके लिए सक्षम न्यायालय में घोषणात्मकवाद लाना होगा। उक्त अभिमत उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा भी अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट/प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये विना पारित किया गया है। इसलिए इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उप जिला कलक्टर भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट व विवादित भूमि जिसमें से अपीलान्ट अपने रकबे की पूर्ति करना चाहता है, के हितबद्ध पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी करने व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के वाद उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त हुई रिपोर्ट का समुचित परीक्षण करते हुए स्पष्ट अभिमत के साथ पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.11.2023

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर